

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 514 / 10

संस्थित दिनांक -12 / 07 / 10

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

पीरुखान वल्द नसीर खान

उम्र 25 वर्ष वार्ड नम्बर 24 इन्द्रानगर,

बालाघाट, जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 15 / 10 / 2016 को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 283, 338, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 11 / 04 / 2010 को समय 23:10 बजे स्थान वनोपज जांच नाका बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत अपने आधिपत्य के ट्रक क्रमांक एम0पी023 / बी0-7781 की व्यवस्था करने में लोप कर लोकपथ पर खड़ा किया। जिससे लोक पथ में संजय एवं भूपेन्द्र बिसेन को संकट, बाधा और क्षति कारित की। तथा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर खड़ा किया जिससे टकराकर भूपेन्द्र बिसेन को घोर उपहति तथा संजय की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.04. 2010 को 23:10 बजे ट्रक क्रमांक एम0पी0-23 / बी0-7781 के चालक पीरु खान ने वाहन को बांस लदे हालत में वनोपज जांच नाका बैहर के पास बंद हालत में खड़ा किया था। तथा नियमानुसार खड़े न करते हुए सड़क पर रखा एवं कोई पार्किंग, सिग्नल या लाईट नहीं जलाया था जिससे संजय चौधरी एवं गोलू उर्फ भूपेन्द्र बिसेन मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-22-एम0 / 8964 से जाते समय उक्त ट्रक से टकरा गये जिससे चोट आने से संजय चौधरी की मृत्यु हो गयी एवं भूपेन्द्र बिसेन को गंभीर चोट आयी। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। उक्त घटना की सूचना थाने पर दी जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में

लिया गया। विवेचना के क्रम में घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया था तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक संजय के शव का परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में धारा 283, 338, 304ए भा. दं0सं0 के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।

3. न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 283, 338, 304ए भा. दं0सं0 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये तथा समझाये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी ने धारा 313 द0प्र0सं0 के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न हैं:-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 11/04/2010 को समय 23:10 बजे वनोपज जांच नाका बैहर रक्षित केन्द्र बैहर के अंतर्गत अपने आधिपत्य ट्रक क्रमांक एम0पी23-बी0-7781 की व्यवस्था करने में लोप कर लोक पथ पर खड़ा किया जिससे लोक पथ में संजय चौधरी एवं भूपेन्द्र बिसेन को संकट, बाधा तथा क्षति कारित की ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोक मार्ग पर खड़ा किया जिससे टकराकर आहत भूपेन्द्र बिसेन के बायें पैर की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोक मार्ग पर खड़ा किया जिससे टकराकर संजय चौधरी की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना के आहत भूपेन्द्र बिसेन (अ.सा.9) का कथन है कि घटना वर्ष 2010 को 10 या 11 तारीख को रात्रि 08:00 या 09:00 बजे के बीच की है। वह मृतक संजय चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से घूमने जा रहा था, नदी के पहले वनोपज जांच नाका के पास ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें कोई भी लाईट नहीं जल रही थी। अंधेरा होने के कारण वह लोग ट्रक से टकरा गये जिसके

बाद वह बेहोश हो गया था। उसे बाद में नागपुर अस्पताल में होश आया था। घटना में उसे सिर, दाहिने हाथ पर एवं कोहनी में चोट आयी थी तथा उसके दोनों पैर टूट गये थे। उसे घटना के लगभग बीस दिन बाद पता चला कि संजय की मृत्यु हो गयी है।

6. घटना की पुष्टि रविकांत इंगोले (अ.सा.5) ने की है और बताया है कि घटना के समय वह वनोपज जांच नाका बैहर में ड्यूटी पर था बांस की गाड़ी एन्ट्री कर रही थी। कंडेक्टर टी.पी. लेकर अंदर नाका पर आया तो एन्ट्री करते समय सामने से जोर की आवाज आयी तो उसने बाहर निकलकर देखा तो ट्रक खड़ा था जिसके पीछे मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति गिरे पड़े थे। उसने करीब से देखा तो लगा कि मृत हो चुके हैं। जिनका नाम उसे मालुम नहीं था। उसके बाद थाने से अधिकारी आये और उससे पूछताछ किये थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देवेन्द्र उइके (अ.सा.1) ने घटना से स्पष्ट इंकार कर पुलिस को प्र.पी01 का बयान नहीं देना व्यक्त किया है। राधेश्याम चौधरी (अ.सा.2) के अनुसार वह मृतक संजय को जानता है, जो उसके विभाग में कर्मचारी था। उसके समक्ष मोटरसाइकिल एवं ट्रक मय दस्तावेजों के जप्त हुआ था तथा जप्ती पत्रक प्र.पी02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. बिज्जूसिंह (अ.सा.3) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है, तथा मृतक संजय उसके विभाग में कर्मचारी था। दो साल पहले बैहर में तनौर नदी के पास ट्रक दुर्घटना में संजय खत्म हो गया था। उसे दुर्घटना होने के बाद पता चला था जिसके बाद वह मौके पर गया था। जहां संजय घटनास्थल पर खत्म हो गया था। घटनास्थल पर ट्रक ड्रायवर नहीं था, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था। जिसके समक्ष उसने घटना की सूचना थाने पर फोन से बताया था। जिसके समक्ष पुलिसवालों ने घटनास्थल पर ट्रक एवं मोटरसाइकिल जप्ती बनाया था तथा जप्ती पत्रक प्र.पी02 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. विश्वनाथ बोपचे (अ.सा.4) का कथन है कि उसे चौधरी जी ने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है जिसके बाद हास्पिटल जाकर देखा तो संजय की मृत्यु हो गयी थी और उसके साथ के व्यक्ति को बालाघाट रिफर कर दिया था, उसे ट्रक से टकराना बताया था। उसके समक्ष गाड़ी के कागजात जप्त किये गये थे तथा जप्ती पत्रक प्र.पी03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मनीष अग्रवाल (अ.सा.6) ने जप्ती से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी04 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

9. डां. एन.एस.कुमरे (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 11.04.2010 को गोलू उर्फ भूपेन्द्र का परीक्षण करने पर सिर के बायें तरफ तथा अग्र भाग

पर चोटें पायी थीं। आहत अर्द्ध बेहोसी की हालत में था तथा हृदय तंत्र में अनियमितता आ गयी थी। चोटें छः घण्टे से भीतर की थी जो कड़ी एवं बोधरी वस्तु से आना संभव थीं जिसकी रिपोर्ट प्र.पी05 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.04.2010 को मृतक संजय का शव परीक्षण करने पर सिर के अग्र भाग तथा जांघ पर अस्थिभंग, कंधे के जोड़, बायें पंजे, ठोड़ी पर चोटें पायीं थीं। साक्षी के अनुसार मृत्यु सदमें से हुई जो कि सर पर आयी चोटों से अत्यधिक रक्त-स्राव के कारण होना पाया था। मृत्यु शव परीक्षण के बीस घण्टे के अंदर होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी06 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10. रविनाथ मिश्रा (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 11.04.2010 को थाना बैहर में पदस्थापना के दौरान प्रार्थी बिज्जूसिंह मरावी द्वारा सूचना देने पर मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 14/10 प्र.पी07 तैयार किया गया था तथा मृतक संजय चौधरी की मृत्यु जांच पंचायत नामा प्र.पी09 तैयार किया गया, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक का शव परीक्षण हेतु फार्म प्र. पी06 भरकर दिया था तथा आहत गोलू उर्फ भूपेन्द्र बिसेन का चिकित्सीय परीक्षण करने हेतु मुलाहिजा फार्म प्र.पी05 तैयार कर भेजा था उक्त दस्तावेजों के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मार्ग उपरांत थाना बैहर ट्रक क्रमांक एम.पी.23/बी-7781 के चालक पीरूखान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 36/10 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी08 लेख किया था। तथा विवेचना हेतु डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा मौकानक्शा प्र.पी10 तैयार किया गया था, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटनास्थल से ट्रक क्रमांक एम.पी.23/बी-7781 एवं मोटरसाइकिल क्रमांक एम. पी.22/एम-8564 हीरो होण्डा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी02 तैयार किया था। तथा दिनांक 13.04.2010 को आरोपी पीरूखान से ट्रक के कागजात, ड्रायविंग लायसेंस गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी04 तैयार किया था। तथा दिनांक 12.05.2010 को मानकराम बिसेन से गवाहों के समक्ष मोटरसाइकिल के कागजात एवं आहत के ईलाज के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी03 तैयार किया था। आरोपी पीरूखान को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी11 तैयार किया था, तथा गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने ट्रक का मैकेनिकल परीक्षण प्र.पी12 तैयार करवाया था।

11. उपरोक्त विवेचना से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को वनोपज जांच नाका बैहर के पास दुर्घटना में ट्रक से टकराकर संजय की मृत्यु हो गयी तथा भूपेन्द्र बिसेन को गंभीर चोटें कारित हुई थीं। परंतु उक्त घटना अभियुक्त की लापरवाही से हुई थी इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यदि विवेचना के आधार पर यह मान भी लिया जाये तब भी कि उक्त ट्रक के चालक अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व सड़क पर बाधा कारित करने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं आहत भूपेन्द्र बिसेन (अ. सा.9) ने मात्र ट्रक की लाईट नहीं जलने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने

स्वयं स्वीकार किया है कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था तथा वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रविकान्त इंगोले (अ.सा.5) ने भी कथन किया है कि मोटरसाइकिल वाले स्वयं स्पीड में थे जो बांस की गाड़ी से टकरा गये। ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी। ट्रक रोड पर नहीं खड़ा होकर अपने साईड पर खड़ा था। एक व्यक्ति की मृत्यु और अन्य के घायल होने से परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है यह संभव है कि मोटरसाइकिल चालक द्वारा स्वयं दुर्घटना कारित की गयी हो।

12. फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पीरूखान द्वारा दिनांक 11.04.2010 के समय 23:10 बजे वनोपज जांच नाका बैहर आरक्षित केन्द्र बैहर के अंतर्गत अपने अधिपत्य के ट्रक क्रमांक एम.पी.23/बी-7781 को लोक पथ पर खड़ा कर उसकी व्यवस्था करने में लोप किया है तथा उक्त वाहन से टकराकर आहत भूपेन्द्र को गंभीर उपहति तथा संजय की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।

13. अतः अभियुक्त पीरूखान को भा.दं0सं0 की धारा 283, 338 एवं 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी023/बी-7781 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

16. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)